सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 761 राँची, शुक्रवार 3 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

15 फरवरी, 2018

संख्या-5/आरोप-1-55/2016 -145 (HRMS)-- श्री जेवियर हेरेंज, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-706/03, गृह जिला-गुमला), तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची, सम्प्रति-निलंबित के विरूद्ध सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया है-

Sr No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the competent Authority
1	XAVIER HERENZ (BHR/BAS/2985)	श्री हेरेंज को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

<u>विवरण:</u>

श्री जेवियर हेरेंज, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-706/03,गृह जिला-गुमला), तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची, सम्प्रति-निलंबित के विरूद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1041/रा०, दिनांक 18 मार्च, 2015 द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-71(ए) के परन्तुक-ii का दुरूपयोग कर ऐसे मामले जिनमें 1969 के पूर्व भूमि पर किसी प्रकार के substantial structure नहीं थे एवं 30 वर्षो से कम अवधि के कब्जे वाली भूमि के लिए बिना समुचित

जाँच किये आदिवासी भूमि हेतु क्षतिपूर्ति निर्धारित कर भूमि के अवैध हस्ततांतरण को विनियमित कर देने संबंधी आरोप प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

2. उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-3223, दिनांक 9 अप्रैल, 2015 द्वारा श्री हेरेंज से स्पष्टीकरण पूछा गया ।

3. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1959/रा०, दिनांक 8 मई, 2015 द्वारा श्री हेरेंज के विरूद्ध पुनः प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

4. श्री हेरेंज के पत्रांक-66 (ii), दिनांक 11 मई, 2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

5. समीक्षोपरांत श्री हेरेंज से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विभागीय आदेश सं०-4765, दिनांक 29 मई, 2015 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-5449, दिनांक 18 जून, 2015 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

6. इस बीच, श्री हेरेंज के अनुमंडल पदाधिकारी, चास की कार्यावधि से संबंधित आरोप के एक अन्य मामले में इन्हें विभागीय संकल्प सं०-8297, दिनांक 16 सितम्बर 2015 द्वारा सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया ।

7. वर्णित मामले में, संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-05, दिनांक 5 जनवरी, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

8. अतः विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची की कार्यावधि से संबंधित आरोप के विषयगत मामले में कार्रवाई करने के संबंध में विधिक परामर्श प्राप्त किया गया । प्राप्त परामर्श में कहा गया है कि- ''There is no bar in service rule from passing order of punishment against the persons already punished in different proceeding.''

9. उक्त परामर्श के आलोक मे अग्रतर कार्रवाई करते हुए मामले की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का मंतव्य प्राप्त किया गया । राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर माननीय विभागीय (राजस्व) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर सहमति प्रदान की गयी ।

10. श्री हेरेंज के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों हेतु इन पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-8700, दिनांक 4 अगस्त, 2017 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी ।

11. युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के बावजूद श्री हेरेंज द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया गया । इनके द्वारा एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया, जिसमें कहा गया की इन्हें निर्गत द्वितीय कारण पृच्छा के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में याचिका W.P.(S) No. 5642/2017 दायर की गयी है । मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

12. श्री हेरेंज द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में मामले की पुनः समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि श्री हेरेंज द्वारा दायर याचिका W.P.(S) No. 5642/2017 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है । श्री हेरेंज को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु प्रथम पत्र (दिनांक 04.08.2017) निर्गत किए जाने के चार माह बाद भी उत्तर नहीं दिया गया । इनके द्वारा दिनांक 7 सितम्बर 2017 को आवेदन देकर 45 दिनों का समय माँगा गया था । उक्त अवधि बीत जाने के बाद भी उत्तर समर्पित न कर माननीय न्यायालय की शरण में जाना स्पष्ट करता है कि इनकी मंशा जवाब देने को नहीं है तथा इनके पास द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित करने हेतु कोई तथ्य नहीं हैं । अतएव समीक्षोपरांत इन्हें सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया ।

13. कंडिका-6 में अंकित तथ्य के क्रम में उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प सं०-9793, दिनांक 13 सितम्बर, 2017 द्वारा श्री हेरेंज को सरकारी सेवा में पुनर्बहाल कर लिया गया है ।

14. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-50, दिनांक 8 जनवरी, 2018 द्वारा श्री हेरेंज को सेवा से बर्खास्त किये जाने संबंधी दण्ड अधिरोपित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी ।

15. दिनांक 7 फरवरी, 2018 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में श्री हेरेंज को सेवा से बर्खास्त किये जाने संबंधी दण्ड अधिरोपित किये जाने पर स्वीकृति दी गयी ।

16. अतः श्री हेरेंज को सरकारी झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (xi) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2502

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 761 -- 50